



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-13102025-266880
CG-TL-E-13102025-266880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4499]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 4499]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 10 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4628(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के खम्मम जिला में रघुनाथापालेम मंडल के पापटपल्ली गांव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 95 के स्थान पर सड़क ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए आवश्यक है (एकड 2.377), इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, उक्त भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर धारा 20D की उप-धारा (1) के तहत आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष उप कलेक्टर (एलए), आईपीटी और रेलवे, खम्मम, खम्मम जिला को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी तथा विशेष उप कलेक्टर (एलए), आईपीटी और रेलवे, खम्मम, खम्मम जिला, आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देंगे, या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद, और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

धारा 20(D) की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत भूमि की योजनाएँ और अन्य विवरण इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमि का विवरण: तेलंगाना राज्य के खम्मम ज़िला में रघुनाधापालेम मंडल के पापटपल्ली गांव में लेवल क्रॉसिंग (एलसी) संख्या 95 के स्थान पर सड़क ओवर ब्रिज का निर्माण हेतु।

गाँव का नाम : पापटपल्ली : रघुनाधापालेम मंडल: खम्मम ज़िला								
क्रम सं.	मंडल का नाम	गाँव का नाम	क्रम सं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि प्रकार (सरकारी/निजी)	भूमि की प्रकृति (सींचित/सूखी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रघुनाधापालेम	पापटपल्ली	1	279	1.047	0.419	पट्टा	सूखी
2	रघुनाधापालेम	पापटपल्ली	2	278	1.002	0.401	पट्टा	सूखी
3	रघुनाधापालेम	पापटपल्ली	3	सरकारीभूमि	0.000	0.000	-	-
4	रघुनाधापालेम	पापटपल्ली	4	218	0.328	0.131	पट्टा	आर्द्र
5	रघुनाधापालेम	पापटपल्ली	5	सरकारीभूमि	0.000	0.000	-	-
				Total	2.377	0.951		

[फा. सं. RSP/Gazette /20A/LC. No. 95 (M) /KZJ-BZA/SC]

मनोज कुमार, सीई/ आरएसपी/एससी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 10th October, 2025

S.O. 4628(E).—in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for Construction of Road Over Bridge in Lieu of Level Crossing (LC) No. 95 to an extent (Acres 2.377) in Papatapally Village of RaghunadhapalemMandal in Khammam District in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Special Deputy Collector (LA) IPT & RailwaysKhammam, Khammam district in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Special Deputy Collector (LA) IPT & RailwaysKhammam, Khammam district shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of Road Over Bridge In lieu of Level Crossing (LC) No. 95 (M) in PapatapallyVillage of Raghunadhapalem Mandal in Khammam District in the state of Telangana

Name of Village :Papatapally : Raghunadhapalem Mandal :Khammam District.								
Sl. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Sl. No	Survey No	Extent area in Acres) as per pahani	Extent area inHectare)	Type of land (Govt. /Pvt.)	Nature of land (Wet/Dry)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Raghunadhapalem	Papatapally	1	279	1.047	0.419	Patta	Dry
2	Raghunadhapalem	Papatapally	2	278	1.002	0.401	Patta	Dry
3	Raghunadhapalem	Papatapally	3	Govt.Land	0.000	0.000	-	-
4	Raghunadhapalem	Papatapally	4	218	0.328	0.131	Patta	Wet
5	Raghunadhapalem	Papatapally	5	Govt.Land	0.000	0.000	-	-
				Total	2.377	0.951		

[F. No. RSP/Gazette /20A/LC. No. 95 (M) /KZJ-BZA/SC]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP